

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नावां (डीडवाना-कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :- श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

प्रार्थी
राज. सरकार जरिये
तहसीलदार कुचामन सिटी

बनाम

अप्रार्थीगण

1. अन्तरकंवर पत्नि समदरसिंह जाति राजपूत
 2. मदनसिंह पुत्र केसरसिंह जाति राजपूत
 3. जवानसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत
 4. रेवंतसिंह पुत्र केसरसिंह जाति राजपूत
 5. नादानसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत
 6. सूर्य प्रताप सिंह पुत्र राठोर पुत्र भगवान सिंह राठोर जाति राजपूत
 7. सुमेरसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत
 8. पर्वतसिंह पुत्र मांगीलालसिंह जाति राजपूत
 9. भंवरकंवर पत्नि दयालसिंह जाति राजपूत
 10. संतोषकंवर पत्नि पर्वतसिंह जाति राजपूत
- सा. लोरा का बास तह. कुचामन सिटी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल.आर.ए.

मुकदमां नम्बर :-0108/2024

निर्णय दिनांक :- 20.02.2024

आदेश

तहसीलदार कुचामन सिटी ने ग्राम लोरा का बास पटवार हल्का नालोट तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 10 रकबा 0.44 हैक्टर किस्म बारानी-1, खसरा नम्बर 13 रकबा 0.10 हैक्टर किस्म बारानी-1 में से प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ते के विवरण में दी गई भूमि वर्षों से मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही हैं। नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। लेकिन उक्त खसरा नम्बरान में से राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी में गै.मु. रास्ता दर्ज नहीं होकर बारानी-1 दर्ज हैं। तहसीलदार कुचामन सिटी ने प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम लोरा का बास पटवार हल्का नालोट तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 10 रकबा 0.44 हैक्टर किस्म बारानी-1, खसरा नम्बर 13 रकबा 0.10 हैक्टर किस्म बारानी-1 में से प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित भूमि को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में बारानी-1 से गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।


प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम लोरा का बास पटवार हल्का नालोट तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 10 रकबा 0.44 हैक्टर किस्म बारानी-1, खसरा नम्बर 13 रकबा 0.10 हैक्टर किस्म बारानी-1 दर्ज रिकार्ड हैं तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही हैं तथा मौके पर वर्षों से रास्ता कायम हो रखा है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम लोरा का बास पटवार हल्का नालोट तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 10 रकबा 0.44 हैक्टर किस्म बारानी-1, खसरा नम्बर 13 रकबा 0.10 हैक्टर किस्म बारानी-1 मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग आ रही हैं। प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित हैं लेकिन जमाबंदी में गै.मु. रास्ता दर्ज नहीं हैं तथा तहसीलदार कुचामन सिटी ने उक्त


उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

खसरा नम्बर की भूमि को गै.मु. रास्ता जमाबंदी में दर्ज करने हेतु अपनी सहमति दी हैं। इस संबंध में राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक/प.3(2) राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 ऐसे रास्तों को रिकार्ड में दर्ज करने हेतु निर्देश दिये है।

अतः तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 में दिये गये प्रावधानों के अनुसरण में ग्राम लोरा का बास पटवार हल्का नालोट तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 10 रकबा 0.44 हैक्टर किस्म बारानी-1 में से 0.0336 हैक्टर, खसरा नम्बर 13 रकबा 0.10 हैक्टर किस्म बारानी-1 में से 0.0228 हैक्टर की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त गै.मु. रास्ता की भूमि खातेदारों की खातेदारी यथावत रहेगी। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का अंभिन्न अंग रहेगा। आदेश की प्रति तहसीलदार कुचामन सिटी को पालनार्थ भिजवाई जावें।


(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी, नावां
उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)